

210/2021

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियत्य जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुक्म  
की तामील में जारी हुए

19.7.22 पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब  
अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली  
दिनांक 22.7.22 को पेश हो।

22/7/22 पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब  
अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली  
दिनांक 4/8/22 को पेश हो।  
विद्यार्थियों की ओर से  
जवाब पेश किया गया  
शामिल किया है।

4/8/22 व कुलाय फरीकेन उप.।  
पत्रावली वास्ते बहस हेतु दि. 8/8/22 को  
पेश हो।

(नीर सोनी)  
सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा

8/8/22 पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब  
अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली  
दिनांक 12/8/22 को पेश हो।

12.8.22 पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब  
अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली  
दिनांक 26.8.22 को पेश हो।

26.8.22 व कुलाय फरीकेन उपस्थित। पत्रावली वास्ते  
बहस 16.9.22 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा

16/9/2022 दोनों पक्षों के अधीपक्षा उपस्थित  
करवा चुकी गई। वरीस छापी  
ने दोशने बहस तक दिना कि विवादि  
द्वि के छापी न विपक्षी कक्षा  
। से 7 रिपोर्ट करवातेकरा है

जज नरेश  
16/9/22  
S.  
पत्राज पं.पं.  
म

सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा

तारीख  
हुक्म


1. पीराने 44 हिल्ला आनी का 2  
 आनी का अपने हिल्लेनुसार मोके  
 पर कल्ला - काश्त मरगा हा रफ  
 है, लेकिन विवादि श्राप्ते संयुक्त  
 स्वतंत्रता में होने व विपरीत संवारा  
 जरी होने के कारण विपरीत पक्ष  
 आनी के कल्ला - काश्त में अशुभताएकी  
 करने व आनी के कल्ला - काश्त  
 श्राप्ते के उन्नत करने पर उतरा है  
 एक कारण वर संवारा का जमा है  
 मानवीय न्यायालय द्वारा संवारा लम्बा  
 आदेश जारी कर रला है। पीराने  
 संवारा के विपरीत तक अन्तर्गत विपरीत  
 आवे।

इसके विपरीत वकील विपरीत की  
 कहता है, कि आनी की श्राप्ते से जल  
 नष्टों के अन्त पर आलेखन - पत्र पेटा  
 है, जो इरानी नष्टों के अन्त  
 पर होने के कारण अशुभ भोग है।  
 लेकिन विवादि श्राप्ते में आनी का  
 44 हिल्ला, विपरीत संवारा 1 से 5 का  
 44 हिल्ला, विपरीत संवारा 6 का  
 44 हिल्ला व विपरीत संवारा 7  
 का 44 हिल्ला विपरीत है और उक्त  
 हिल्लेनुसार पक्षधारण का मोके व  
 कल्ला - काश्त मरगा हा रला है

(S.D.O.) बालोतरा

लेकिन विवाहित कृषि जंपुकर खातेदारों  
में होने के कारण जामी द्वारा अपने  
हक - हिले ले काबिल भूमि पर  
कब्जा करने को तय्यार करता है और  
विधायी पत्र को परेशान करने की  
विषय से उषर वाड जेस रिफा है तथा  
जामत नामों के आधार पर लगान आदेश  
जारी करना दिया। जंपुकर जंपुकर खातेदारों  
शामिल में लगान आदेश जारी नहीं  
रिफा का लक्ष्य है। हुक्म लगान आदेश  
की आड में जामी द्वारा विधायी पत्र  
को परेशान रिफा का रहा है। जो  
हुक्म परिधिपरिषदों को भेदेतक रहते  
हुए जामी का आदेश - पत्र खारिज  
करनाया जाये।

हमने दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं  
को कहकर खुनी और कहकर पर पान  
रिफा तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य  
रिफाई व दस्तावेजों का जासगीलत-दुर्क  
आवलोकन किया। तबीकामें पाया कि ग्राम  
भूमिपरिषद स्थान की खेत खलतल वकल  
355, 357, 359, 360, 362 व 363  
कुल रकबा 120-11 बीघा व मात्र  
चौदसल तहसील प-पपदा की खेत  
खलतल मात्र 416 रकबा 24.09 बीघा  
भूमि के जामी व विधायी कंबा  
का से 7 रिफाई कहखातेदारान है।  
अतः तबीकामें जामी का 1/4 हिलरा निरीत

  
जज (S.D.J.) बालोतरा

ई। और रिकॉर्ड रखवातेदारान को  
लगात आदेश ले बांध नहीं किया  
भी सकता है, क्योंकि विधिवत संघर्ष  
नहीं होने तक प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक  
इंच पर कब्जा माना जाता है। फेली  
सूत्र में धारों अपने इक हिले तक  
को लगात आदेश जारी रखा सकता  
है, यदि संपूर्ण शक्ति पर लगात  
अज्ञान जारी नहीं करता सकता है।  
फेली सूत्र में धारों का आवेदन  
आंगिक रूप से स्वीकार जोग है।

विशेष धारों का आवेदन - पत्र  
आंगिक रूप से स्वीकार किया जाकर  
ज्यादातर सारी धारों आदेश  
दिनांक 31-8-2021 में संबोधन करते हुए  
विवादिता सूत्र प्राप्त. नीमर लाई 2021  
की रकम खला नरक 355, 357, 359,  
360, 362 व 363 कुल रकम 120-11  
की रकम लंका 416 रकम 24-09 की  
शक्ति में धारों के 74 हिले तक सम्पत्ति  
रिकॉर्ड व नोके की अकारि कनापे  
रखने हेतु विधायकता को जरूरी लगात  
आदेश के तुरंत के विधि तक बांध  
किया जाता है।

आदेश सुनाया गया /

पत्रावली केवल सुनाए योग्य कारिका  
दफतर में।

सहायक कमिश्नर  
(S.D.O.) बालोतरा